

तहसील कुशलगढ जिला बासवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम

मु. नं. : 08/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10-07-2023	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांट अनुपरिथत, उनके अधिवक्ता अनुपरिथत। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपरिथत। अपीलांट व उनके अधिवक्ता को अंतराल में रुक-रुक कर कई आवाजे लगवाई गई, उसके बावजूद भी अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता अनुपरिथत रहे। सायं 4.30 बजे पुनः अन्तिम बार आवाज लगवाई, बावजूद भी अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता अनुपरिथत है। अतः अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्रेषित की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



(ज. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त कलेक्टर, बासवाडा
जिला बासवाडा